

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

से.....

आदेश पत्रक-ता०.....

,सन्.....

जिला-खगड़िया.....

सा०.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-~~258~~ 258/2018 राज्य बनाम थाना चौथम कांड संख्या:-196/2017

आदेश की क्रम सं० और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
3.

28.09.2018

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना चौथम में दर्ज कांड संख्या:-196/2017 दिनांक 14.11.2017 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4589/हि०शा०, दिनांक 27.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, चौथम का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 375 एम०एल० का 18 बोतल विदेशी शराब में से 375 एम०एल० का 02 बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार पटना को भेजा जा चुका है, तथा शेष 375 एम०एल० का 16 बोतल विदेशी शराब कुल-6.00 लीटर विदेशी शराब थाना अलौली के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।


अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, चौथम के मालखाना में रखी गई कुल:-6.00 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, चौथम में दर्ज कांड संख्या:-196/2017 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल-6.00 लीटर विदेशी शराब शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चौथम / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, खगड़िया।

समाहर्ता, खगड़िया।

| <p>आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.</p> | <p>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.</p> | <p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित 03.</p> |
|---|---|--|
| | <p>डी०बी० नं० 634 / विधि, दिनांक..... 28-9-18 प्रतिलिपि:—पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चौथम/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करनी की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;">  28/9 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।</p> | |